(वाद सं०– 950/4/30/2020)

15.07.2022

परिवादी, पुनम कुमारी, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर द्वारा नियुक्ति के (01) एक वर्ष के बाद सेवामुक्त किये जाने सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि मोहनपुर प्रखण्ड में आँगनबाड़ी सेविका के रूप में दिनांक–08.12.2018 को चयन किया गया था। परिवादी का आगे कथन है कि दिनांक–23.12.2019 को उसे इस आधार पर सेवामुक्त कर दिया गया कि उसके ससुर, FCI (भारतीय खाद्य निगम), दिल्ली में बोरा उठाकर 12000/– (बारह हजार रुपये) प्रति माह से अधिक आय प्राप्त करते है जो सेवामुक्ति का उचित व वैध आधार नहीं है। परिवादी की ओर से राज्य आयोग से पुनः अपने नियोजन को बहाल करने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी का चयन वर्ष–2019 से पूर्व, आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के आलोक में किया गया था। उक्त मार्गदर्शिका के कंडिका (6) में यह उल्लेख है कि सरकारी/गैरसरकारी नियोजन में कार्यरत, जिनकी मासिक आय 12000/– (बारह हजार रुपये) प्रति माह या उससे ज्यादा है कि पत्नी/बहू सहायिका चयन के लिए अयोग्य होंगी। उक्त के आलोक में परिवादी को चयन मुक्त कर दिया गया। प्रतिवेदनानुसार, उक्त मार्गदर्शिका में वर्ष–2019 में संशोधन कर 12000/– (बारह हजार रुपये) मासिक आय वाली शर्त को समाप्त

कर दिया गया है। प्रतिवेदनानुसार, चुर्की आवेदिका का चयन आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के आलोक में किया गया है इसलिए बाद में संशोधित प्रावधान परिवादी पर लागू नहीं होगा।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसे अपने ससुर के आय के आधार पर सेवामुक्त किया गया है, जबकि मार्गदर्शिका के कंडिका (6) में चयन हेतु आवेदन देने वाले आवेदिका की आय की भी सीमा का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर से प्रतिवेदन की माँग की गई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर के द्वारा राज्य आयोग को प्रतिवेदित किया गया है कि समान आशय का मामला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर के न्यायालय में दाखिल किया गया है जो विचाराधीन है, साथ ही साथ परिवादी का कथन है कि लोकायुक्त, बिहार, पटना के समक्ष भी यह मामला उठाया गया है तथा दोनों जगह प्रसंगाधीन मामला विचाराधीन है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर के आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका (6) से प्रथम दृष्टतया यह प्रतीत होता हो रहा है कि आय से सम्बन्धित शर्त आवेदन करने वाले आवेदनकर्त्ता से सम्बन्धित है न कि उसके रिश्तेदार से। लेकिन चुर्की यह मामला वर्तमान में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर से अनुरोध है कि प्रसंगाधीन मामले की यथाशीघ्र नियमानुसार आदेश पारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अब जबकि समान आशय का मामला सुनवाई हेतु एक सक्षम प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है साथ ही साथ लोकायुक्त, बिहार, पटना के समक्ष भी विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की एक प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, समस्तीपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए उसकी एक प्रति परिवादी को भी सूचनार्थ उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक